



UPBS120003152016

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी- (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)- UP03335

मूलवाद सं० 07/2016

रामदुलारे बनाम निसार अहमद

11.04.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए -

01. क्या वादी विवादित भूमि शिकमी नम्बर 51/2/0-0-11 प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र अ, ब, स, द, य, र, ल का मालिक व काबिज है?
02. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
03. क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
04. क्या दावा वादी कालबाधित है?
05. क्या वादी को राइट टू सूट प्राप्त है?
06. क्या दावा वादी पोषणीय है?
07. क्या दावा वादी धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
08. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का हकदार है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 2 व 3 दिनांक 25.05.2023 को पेश हो। टी०आई० नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान- बस्ती।